एनएचपीसी धोखाधड़ी रोकथाम एवं पता लगाने संबंधी नीति

1. पृष्ठभूमि

पिछले कई वर्षों से, एनएचपीसी लिमिटेड ने संगठन के अंदर और बाहर कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु अनेक नीतियां, प्रविधियों एवं प्रणालियों का निर्माण किया है । इनमें से अधिकांश को नीति दस्तावेजों के रूप में आधिकारिक रूप दिया गया है । इन प्रणालियों को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि कर्मचारी अपने व्यावसायिक लेन-देन में पारदर्शिता और एकरूपता से कार्य करें । इनमें कुछ उदाहरण जैसे शक्तियों का प्रत्यायोजन, परियोजना एवं संविदा प्रबंधन प्रणाली, वित्त तथा मानव संसाधन प्रणाली, निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु आचार संहिता, कर्मचारियों हेतु आचरण एवं अनुशासन नियमावली, सेवा नियमावली आदि है । सूचीकरण समझौते का खंड 49 जो सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कॉरपोरेट अभिशासन व्यवहारों से संबंधित है, वह भी कुछ अपेक्षाओं का वर्णन करते हैं । इन अपेक्षाओं में अन्य बातों के साथ-साथ "व्हिसल ब्लोअर नीति" भी शामिल है । इस नीति में यह परिकल्पना की गई कि कंपनियां अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कदाचार या आचार नीति के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को सूचित करने के लिए कर्मचारियों के लिए व्यवस्था बनाएं ।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के सांविधानिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के प्रावधानों के अनुपालन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किए जाने वाले कंपनी के वार्षिक लेखों पर रिपोर्ट में, कंपनी की धोखाधड़ी की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए नीति पर अपनी टिप्पणी देना अपेक्षित है ।

इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) से (15) के अनुपालन में धारा 148 के तहत लागत लेखापरीक्षा करने वाले लागत लेखाकारों सहित और धारा 204 के तहत सचिवालयीन लेखापरीक्षा करने वाले कंपनी सचिव केन्द्र सरकार, बोर्ड या लेखापरीक्षा, जैसा भी मामलों हो, समिति को कंपनी के विरूद्ध (लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई) की गई धोखाधड़ी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है ।

इसके अतिरिक्त, कंपनी {लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट} आदेश [सीएआरओ 2020] के पैरा (xi) के अनुसार, लेखापरीक्षक को धोखाधड़ी और व्हिसल ब्लोअर की शिकायतों पर रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है ।

(क) क्या वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी या कंपनी से किसी धोखाधड़ी की जानकारी या सूचना है, यदि हाँ, तो उसकी प्रकृति और शामिल धनराशि निर्दिष्ट करें,

एनएचपीसी धोखाधड़ी रोकथाम एवं पता लगाने संबंधी नीति

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अधीन कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 13 के अधीन यथाविहित प्रारूप एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्रीय सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट फाइल की गई है,

(ग) क्या लेखापरीक्षक ने कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त, व्हिसल ब्लोअर की शिकायतों , यदि कोई हो, पर विचार किया है,

उपर्युक्त के आलोक में और कॉरपोरेट अभिशासन सिद्धांतों के सक्रिय रूप से अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उचित है कि धोखाधड़ी की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए एक नीति बनाकर उसे क्रियान्वित की जाए ।

इस नीति का विवरण तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन हेतु नीचे दिया गया है : -

2. नीति के उद्देश्य

"धोखाधड़ी की रोकथाम एवं उसका पता लगाने संबंधी नीति" को धोखाधड़ी का पता लगाने तथा उसे रोकने, पता लगाई गई अथवा किसी संदिग्ध धोखाधड़ी की सूचना देने और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के उचित निबटान के लिए इस नीति को बनाया गया है । यह नीति निम्नलिखित को सुनिश्चित/व्यवस्था करेगी: -

i) यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम और जब भी ऐसा हो धोखाधड़ी की रोकथाम और/अथवा धोखाधड़ी के होने पर उसका पता लगाने हेतु प्रविधि स्थापित किए जाने के लिए अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग है ।

ii) कर्मचारियों और एनएचपीसी के साथ कारोबार करने वाले अन्य व्यक्तियों किन्हीं धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करना और धोखाधड़ी गतिविधियों में संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करना ।

iii) धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों की जांच करना ।

iv) यह आश्वासन देना कि किसी अथवा सभी संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि की पूरी जांच की जाएगी ।

v) नीतिपरक एवं धोखाधड़ी मुक्त वातावरण को प्रोत्साहित करना ।

3. नीति का विस्तार

यह नीति एनएचपीसी लिमिटेड के कर्मचारियों (सभी पूर्णकालिक, अंशकालिक अथवा तदर्थ/अस्थायी/संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी) और साथ ही विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, संविदाकार, परामर्शदाता, सेवा प्रदाता या एनएचपीसी लिमिटेड के साथ किसी प्रकार का व्यापार करने वाली किसी बाहरी एजेंसी द्वारा की गई धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी पर लागू होती है ।

एनएचपीसी धोखाधड़ी रोकथाम एवं पता लगाने संबंधी नीति

4. धोखाधड़ी की परिभाषा

"धोखाधड़ी" किसी व्यक्ति(यों) द्वारा जानबूझकर चालाकी, तथ्य छुपाकर, छल व कपट अथवा अन्य किसी धोखाधड़ीपूर्ण या अन्य किसी अवैध तरीके से किया गया कृत्य है, जिसके द्वारा स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ हो तथा किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित हानि हो । कई बार ऐसे कृत्यों को किसी को धोखा देने/भ्रमित करने के उद्देश्य से किया जाता है जिससे वे किसी वास्तविक कृत्य को करने में सफल नहीं हो पाते अथवा एक ऐसा कोई वास्तविक निर्णय ले लें जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है ।"

5. धोखाधड़ी में शामिल होने वाले कार्य

जहां धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों की व्याप्ति की बहुत व्यापक श्रृंखला है, धोखाधड़ी में शामिल होने वाले कुछ कार्य निम्नलिखित हैं : -

i) कंपनी से संबद्ध किसी दस्तावेज अथवा लेखे में जालसाजी या अनधिकृत बदलाव करना ।

ii) चैक, बैंक ड्राफ्ट अथवा अन्य किसी वित्तीय दस्तावेज आदि में जालसाजी या बदलाव करना ।

iii) धोखाधड़ी से निधियों , प्रतिभूतियों, आपूर्तियों तथा अन्य परिसंपत्तियों का विनियोजन करना ।

iv) वेतनपंजी जैसे अभिलेखों में गलत रिकॉर्ड रखना, दस्तावेजों को फाइल से गायब करना और/अथवा उन्हें किसी धोखाधड़ीपूर्ण नोट आदि से बदलना ।

v) नियुक्ति, नियोजन, रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण, निविदा समिति सिफारिशों आदि के मामलों में तथ्यों को जानबूझकर छुपाया जाना/ गलत बताया जाना जिसके परिणामस्वरूप किसी को अनुचित लाभ हो और किन्ही अन्यों को अनुचित हानि होती हो ।

vi) व्यक्तिगत प्रयोजनों हेतु कंपनी की निधियों का उपयोग करना ।

vii) आपूर्ति न किए गए माल अथवा प्रदान न की गई सेवाओं हेतु भुगतान प्राप्त करना और अधिकृत करना ।

viii) तथ्यों का जोड़ तथा गलत दर्शाने के उद्देश्य के साथ कंपनी के रिकॉर्डों तथा अन्य परिसंपत्तियों को नष्ट करना, उनका निपटान करना, हटाना ताकि संदेह/छुपाव/धोखाधड़ी की स्थिति निर्मित हो, जिसके परिणामस्वरूप उद्देश्यपरक आंकलन/निर्णय न लिया जा सके ।

ix) धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों के विस्तार के अंतर्गत आने वाले अन्य कोई कृत्य ।

x) कंपनी की आंतरिक गतिविधियों के ज्ञान से मुनाफाखोरी ।

xi) अप्राधिकृत और/या बाह्य पार्टियों को गोपनीय एवं स्वाधिकृत सूचना का प्रकटीकरण करना ।

एनएचपीसी धोखाधड़ी रोकथाम एवं पता लगाने संबंधी नीति

xii) एनएचपीसी की आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली का उल्लंघन करते हुए कंपनी को सेवाएं/ सामग्री उपलब्ध कराने वाले संविदाकारों, विक्रेताओं और व्यक्तियों से किसी भी प्रकार से मूल्यवान सामग्री लेना या मांग करना ।

xiii) कंपनी की गतिविधियों के बारे में गलत लिखित या भौतिक बयान या अभिवेदन देना ।

6. धोखाधड़ी को सूचित करना

(1) कोई भी कर्मचारी (सभी पूर्णकालिक, अंशकालिक अथवा तदर्थ/अस्थायी/संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी) और साथ ही विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, संविदाकार, परामर्शदाता, सेवा प्रदाता या एनएचपीसी लिमिटेड के साथ किसी प्रकार का व्यापार कर रही कोई बाहरी एजेंसी के प्रतिनिधि के किसी धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी या अन्य किसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों का पता लगने पर उसे ऐसी घटना(ओं) के बारे में तुरंत सूचित करना चाहिए । ऐसी सूचना प्रत्येक परियोजना/ क्षेत्र/निगम मुख्यालय में नामित नोडल अधिकारी को दी जाएगी । तथापि, यदि समय की कमी हो तो ऐसी किसी सूचना को तत्काल अपने नियंत्रण अधिकारी को दिया जाना चाहिए जिसका कर्तव्य यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राप्त सूचना को नोडल अधिकारी को तत्काल सूचित किया जाए । सामान्यत: धोखाधड़ी की सूचना लिखित में दी जानी चाहिए । यदि सूचना प्रदाता धोखाधड़ी का कोई लिखित विवरण देने का इच्छुक नहीं है परन्तु वह धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी क्रमबद्ध और सुनिश्चित लेन-देन के बारे में बताने की स्थिति में है, तो सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी /नोडल अधिकारी को सूचना देने वाले द्वारा कहे गए कथन को रिकॉर्ड करना चाहिए और ऐसी घटना की सूचना देने वाले पदाधिकारी /कर्मचारी/अन्य व्यक्ति की पहचान के ब्यौरे भी रखने चाहिए । रिपोर्ट को गोपनीयता से दिया जाना चाहिए और जिस व्यक्ति को धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी के संबंध में सूचित किया गया है उसे सूचना देने वाले के संबंध में गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए और उस पर किसी अप्राधिकृत व्यक्ति से विचार-विमर्श नहीं करना चाहिए ।

(2) धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी की सभी रिपोर्टों को तत्काल संज्ञान में लिया जाना चाहिए और नामित किए गए नोडल अधिकारी द्वारा समन्वय किया जाना चाहिए ।

(3) किसी संदिग्ध धोखाधड़ी के संबंध में कोई सूचना देने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संगत रिकॉर्ड दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों को तत्काल अभिरक्षा में लिया जाए और धोखाधड़ी के संदिग्ध अथवा उसके प्रभाव में आने वाले किसी अन्य अधिकारी द्वारा उनकी छेड़छाड़, नष्ट होने अथवा उन्हें हटाने से बचाया जाना चाहिए ।

(4) परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/यूनिटों के प्रमुख और निगम मुख्यालय के विभागाध्यक्ष/आंतरिक लेखापरीक्षा इस नीति की सभी गतिविधियों के कार्यान्वयन एवं समन्वय के लिए नोडल अधिकारी

होंगे । ऐसे अंतराल जिसे कंपनी के लेखापरीक्षा के विभागाध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-क) में दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें । विभागाध्यक्ष, आंतरिक लेखापरीक्षा सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम , 2015 के अनुसार आवधिक आधार पर निदेशकों की लेखापरीक्षा के समक्ष रिपोर्ट रखी जाएगी ।

7. जांच प्रकियाविधि

(1) "नोडल अधिकारी" धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी के ब्यौरों को आगे उचित जांच तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के सतर्कता विभाग को अग्रेषित करेगा ।

(2) यह इनपुट दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के एक भाग के रूप में अपने स्वयं के सतर्कता विभाग द्वारा जांच किए जा रहे धोखाधड़ी के मामले की खुफिया समझ, सूचना एवं जांच के अतिरिक्त होगी ।

(3) जांच पूर्ण होने के पश्चात्, उपयुक्त एवं उचित कार्रवाई की जाएगी जिसमें प्रशासनिक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सिविल अथवा आपराधिक कार्रवाई या मामले को बंद किया जाना शामिल है, यदि जांच के निष्कर्ष के आधार पर यदि यह सिद्ध होता है कि धोखाधड़ी नहीं हुई है ।

(4) सतर्कता विभाग "नोडल अधिकारी" को उनके द्वारा की गई जांच के परिणामों से अवगत करवाएगा । इन दोनों के मध्य लगातार समन्वय बनाए रखा जाना चाहिए ।

8. उत्तरदायित्व तथा धोखाधड़ी रोकना

(1) प्रत्येक कर्मचारी (सभी पूर्णकालिक, अंशकालिक, तदर्थ, अस्थायी, संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी) और साथ ही विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, संविदाकार, परामर्शदाता, सेवा प्रदाता या एनएचपीसी लिमिटेड के साथ किसी प्रकार का व्यापार कर रही किसी बाहरी एजेंसी के प्रतिनिधि से यह प्रत्याशा है और वे अपने उत्तरदायित्व /नियंत्रण के क्षेत्रों में किसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि ना होने को सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी हैं । जैसे ही यह ज्ञात होता है कि कोई धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी की गई है अथवा किए जाने की संभावना है तो वे उक्त को प्रक्रियाविधि के अनुसार तत्काल संबंधित को सूचित करेगा ।

(2) सभी नियंत्रण अधिकारी धोखाधड़ी को रोकने तथा उसका पता लगाने तथा कंपनी की धोखाधड़ी की रोकथाम एवं जांच नीति के क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व को साझा करेंगे । यह सुनिश्चित करने के लिए सारे नियंत्रण अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि उनके नियंत्रण क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित तंत्र हों : -

(क) प्रत्येक कर्मचारी को उसके क्षेत्र में होने वाले अनुचित व्यवहारों के प्रकारों से अवगत कराना ।

(ख) कर्मचारियों को धोखाधड़ी रोकथाम एवं पता लगाने के संबंध में शिक्षित करना ।

(ग) एक ऐसी संस्कृति का सृजन करना जहां कर्मचारियों को किसी उत्पीड़न के भय के बिना उसकी जानकारी में आने वाली किसी धोखाधड़ी एवं संदिग्ध धोखाधड़ी को सूचित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।

(घ) सीडीए नियमावली के माध्यम से कंपनी द्वारा सहमत नैतिक सिद्धांतों के बारे कर्मचारी की जागरूकता को बढ़ावा देना ।

(3) संगठन की संविदा की सामान्य शर्तों में उचित संशोधन किया जाना चाहिए जिसमें सभी बोलीदाता/सेवा प्रदाता/विक्रेता/परामर्शकदाता आदि को यह प्रमाणित करना अपेक्षित होगा कि वे धोखाधड़ी की रोकथाम एवं पता लगाने संबंधी नीति का अनुपालन करेंगे और वे स्वयं को तथा उनके संगठन में कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं होने देंगे और उनकी जानकारी में आते ही संगठन को धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी की गतिविधियों को तत्काल सूचित करेंगे ।

ये शर्तें बोली प्रस्तुत करने और संविदा के निष्पादन के समझौते के समय दस्तावेजों का एक भाग होगी ।

9. प्रशासन एवं नीति की समीक्षा

इस संशोधित नीति के प्रशासक, विवेचना, अनुप्रयोग एवं संशोधन के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उत्तरदायी होंगे । जब भी आवश्यक हो, इस नीति की समीक्षा एवं इसमें संशोधन किया जाएगा ।

एनएचपीसी धोखाधड़ी रोकथाम एवं पता लगाने संबंधी नीति

अनुबंध-क

नोडल अधिकारियों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

यूनिट का नाम	
नोडल अधिकारी	
नोडल अधिकारी का पदनाम	
अनुपालन अवधि	
रिपोर्टिंग तारीख	

अनुपालन अवधि के दौरान घटना(ओं) का विवरण

क्र.सं.	घटना का संक्षिप्त विवरण (अर्थात धोखाधड़ी/ संदिग्ध धोखाधड़ी)	किस तारीख को नियंत्रण अधिकारी (यों)/नोडल अधिकारी को घटना की रिपोर्ट दी गई	रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई	क्या ब्यौरें सतर्कता विभाग को अग्रेषित किए गए है	यदि हां, ऐसे रेफरल की तारीख	यदि नोडल अधिकारी को सूचित किया गया है तो सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच का परिणाम	टिप्पणी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, अनुसूची-।। कारपोरेट अभिशासन के भाग-ग, लेखापरीक्षा समिति की भूमिका के अनुसार

****